FORM No. II

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व अपील प्राधिकारी ,सवाई माधोपुर

अज अदालत.....मुकाम.....

.....गोविन्द प्रसाद .....बनाम.....सुरेश वगै0.....

.....

किस्म मुकदमा.....राज0 काश्तकारी अधि0 1955 अर्न्तगत धारा 225.....नं.....45.....सन्.....2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.07.23	पत्रावली बाद जाँच रिपोर्ट आज पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलाण्ट अधिवक्ता श्री श्याम मोहन शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा यह अपील अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी जिला करौली में दायर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, मुकदमा नंबर 400/2021 बउनवान सुरेश वगै0 बनाम अशोक वगै0 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.11.2021 से मियाद बाहर पेश की गई। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अदालत मातहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी जिला करौली के अन्तिरम आदेश दिनांक 24.11.2021 के विरूद्ध पेश की गई, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के दिनांक 20.12.2021 तक इस कदर जारी की गई कि गैरसायलान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं. 6196, 6197, 6199 वाके ग्राम हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन में आगामी तिथि तक रिकॉर्ड एवं मौके पर यथास्थिति बनाये रखें। तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हों। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं होने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। मातहत अदालत के इस आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा अपील न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस/अप्रार्थीगण को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा रेस्पोडेन्टस की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर उपरोक्त उक्त आदेश विधि विपरीत जाकर तथा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया है ।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

किसी भी विकय पत्र को प्रभाव शून्य अथावा नल एण्ड वॉईड करने का क्षेत्राधिकार विधिक प्रावधानों के तहत माननीय सिविल न्यायालय को है ना कि राजस्व न्यायालय को। जब विक्रय पत्र को नल एण्ड वॉईड करने का क्षेत्राधिकार मातहत अदालत को नहीं है तो टी.आई. प्रा.पत्र में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना विधि विरूद्व हैं। इस बात पर गौर किये बिना ही मातहत अदालत द्वारा उक्त निर्णय पारित किया है, जो अपारत योग्य है। । अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.11.2021 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील के साथ अपीलाण्टगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम भी पेश किया।

प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 20.06.2023 को अधिवक्ता अपीलान्ट के माध्यम से हुई। यह बिन्दु भी गौर फरमाने लायक है कि मातहत अदालत ने अपने क्षेत्र की अधिकारिता का उल्लघन कर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अनाधिकृत प्रवेश कर उक्त निर्णय पारित किया है जो प्रारम्भ से शून्य आदेश की श्रेणी में आता है। अतः देरी की अवधि को कण्डोन किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। अतः अपील हाजा को अंदर मियाद फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम की एकपक्षीय बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है। विभिन्न माननीय न्यायालयों में मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करते समय तीन तथ्यों प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का विवेचन नहीं किया गया। अपीलाण्टान के अधिकारों का हनन किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस/अप्रार्थीगण को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा रेस्पोडेन्टस की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर उपरोक्त उक्त आदेश विधि विपरीत जाकर तथा क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया है। मातहत अदालत द्वारा स्वयं अपने निर्णय में यह कथन किया गया है कि " यदि रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पेशी पर पेश नहीं होने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावें " प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.06.2023 तक भी रजिस्टर्ड तलवाने अप्रार्थीगण की तलवी हेतु पेश नहीं किये गये है, इसके बावजूद भी स्थगन निरन्तर जारी है जो विधि विपरीत है अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए तहत अदालत द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करने के आदेश दिनांक 24.11.2021 को अपास्त किया जावें।

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.11.2021 का अवलोकन किया गया।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की पूर्ण पीठ के निर्णय रिविजन/एसआर/9867/2012/नागौर निर्णय दिनांक 12.03.2014 द्वारा एक राजस्व न्यायालय को एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 में सक्षमता के बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है। इस विवेचन के अनुसार एक राजस्व न्यायालय को, अपवादस्वरूप स्थिति में, एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की सक्षमता, राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत है, यदि प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीन महत्वपूर्ण घटक प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित पाये जाते हैं।

द्वितीय; महत्वपूर्ण बिन्दु कि क्या ऐसे आदेशों की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी को धारा 225 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के अन्तर्गत ग्रहण करने की सक्षमता है? इसके विवेचन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जारी किये गये एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेशों को सुनने की क्षेत्राधिकारिता है, परन्तु आगामी पेशी तक प्रभावी रहने वाले आदेशों के लिये नहीं है।

इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शन परीक्षण न्यायालय हेतु जारी किये गये हैं–

1. प्रथम तो परीक्षण न्यायालयों को ऐसे आदेश जारी करने से बचना चाहिए, परन्तु परिस्थितियों की माँग है तो, धारा 212 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

तीनों घटकों की विद्वतापूर्ण परीक्षण करने पर यदि प्रकरण पाया जाता है तो जारी किया जाना चाहिए।

2. यदि ऐसा प्रकरण पाया जाता है कि एक पक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अत्यन्तावश्यक है तो यह स्वस्पष्ट व तार्किक होना चाहिए और एक माह की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

3. परीक्षण न्यायालय को ऐसे आदेशों की सूचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाने का प्रावधान बाध्यकारी है।

4. परीक्षण न्यायालयों के लिए यह बाध्यकारी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के ऐसे आदेश जो एकपक्षीय आदेश आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के तहत दिये गये हैं, उनको 30 दिवस की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मुख्य बहस पर मनन किया गया।

मातहत अदालत की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि आदेशिका दिनांक 24.11.2021 के अनुसार :– " गैरसायलान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं. 6196, 6197, 6199 वाके ग्राम हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन में आगामी तिथि तक रिकॉर्ड एवं मौके पर यथास्थिति बनाये रखें। तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हों। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं होने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। "

आदेश से स्पष्ट है कि " रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं होने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।"

सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 03 ए के अनुसार :– "(क) व्यादेश देने वाला आदेश किए जाने के तुरन्त पश्चात व्यादेश के लिए आवेदन की प्रति निम्नलिखित के साथ–

(i) आवेदन के समर्थन में फाइल किए गए शपथपत्र की प्रति;

(ii) वादपत्र की प्रति; और

(iii) उन दस्तावेजों की प्रतियां, जिन पर आवेदक निर्भर करता है, विरोधी पक्षकार को दे या उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजें "

लेकिन अदालत मातहत की आदेशिका के अवलोकन से यह प्रकट है कि दिनांक 14.06.2023 तक वादी द्वारा प्रतिवादी की तलवी हेतु रजि0 सम्मन पेश नहीं किये गये। इस अनुसार तो स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाना चाहिए था लेकिन मातहत द्वारा स्थगन आदेश को निष्प्रभावी नहीं किया गया। इस प्रकार विधिक प्रक्रिया की पालना किये बगैर जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। विवादित आराजी खसरा नं. 6196, 6197, 6199 वाके ग्राम हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन पर मातहत अदालत द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.11.2021 को निरस्त किया जाता है। अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों को 'सुनवाई का युक्तियुक्त' अवसर प्रदान करते हुए निर्धारित समयावधि में निस्तारण करें। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अदालत मातहत को प्रेषित की जावें।

पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावें।

आदेश आज दिनांक 12.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

12/7/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner